न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/275

1. प्यारेलाल पुत्र सुगरयाराम
2. चन्द्रकला सैनी पत्नि स्व. रामजीवन
3. अनिता सैनी पुत्री रामजीवन
4. सीमा सैनी पुत्री रामजीवन
5. रचना सैनी पुत्री रामजीवन
6. सुरेश कुमार सैनी पुत्र रामजीवन सैनी
7. प्रदीप कुमार सैनी पुत्र रामजीवन सैनी

समस्त जाति माली, निवासी मोतीवाडा मोड के सामने मालियों की ढाणी मेगा हाईवे राजगढ़ रोड बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुशीला बैरवा पत्नि धम्मनलाल निवासी मोराडी तहसील बसवा जिला दौसा।
2. सुनीता पत्नि हजारीलाल जाति बलाई निवासी राहु का बास बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई दिनांक 29.08.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी सुशीला बैरवा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 158/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री सी.एल.मीना, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक— 22.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.08.2022 के खिलाफ दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 3706 वाके रामा बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये गये कि आराजी खसरा नम्बर 3706 वाके रामा बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा में स्थित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान के मध्यनजर सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) विधिवत करावें। मौके पर पत्थरगढी बाबत शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था बनाये रखे। आवश्यकतानुसार वांछित पुलिस जाब्ता थानाधिकारी बसवा से प्राप्त करने तथा थानाधिकारी वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बसवा को मौके पर उपलब्ध करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स प्यारेलाल पुत्र सुगरयाराम व अन्य ने यह अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 29.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालाय ने बिना अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गयी सम्पूर्ण बहस को लिखे बिना व बिना प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज पर गौर किये बिना व उन पर कोई विचार किये बिना व उन पर कोई फाईन्डिंग दिये बिना कानून के विपरीत तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जब कोई भूमि विवादित हो तो उस विवादित भूमि की पत्थरगढी के आदेश नहीं किये जा सकते है उक्त वादग्रस्त भूमि विवादित भूमि है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि का पत्थरगढी का आदेश देकर कानूनी गलती की है। जिस भूमि का पत्थरगढी का आदेश दिया है वह भूमि प्रार्थीगण अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नंबर 5178 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि के रकबा में से हाल खसरा नंबर 3706 बनाया गया है तथा उक्त भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर दीगर लोगों के नाम लगा दी है जिसके बाबत दुरूस्ती का दावा पेश कर रखा था जो विचाराधीन होकर निर्णित हो गया है, जिसकी अपील प्रस्तुत कर रखी है तथा भूमि जिसकी पत्थरगढी का आदेश दिया गया है वह विवादित भूमि है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस किसी भी बात पर गौर नहीं कर आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि गलत एन्ट्री के आधार पर बिना कब्जा विक्रय कर दी गयी है जिसके संबंध में अनेकों मुकदमें विचाराधीन है। उक्त भूमि के एक भी इंच भू—भाग पर रेस्पो0 नंबर 1 लगा० 2 का कब्जा नहीं है किन्तु बिना कब्जे व नये पुराने रिकार्ड की जाँच किये बिना अपीलान्ट को अपने उजात पेश करने का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय मिलीभगत से पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय जब किसी भूमि के संबध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में पत्थरगढी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर किये बिना उक्त निर्णय पारित करने मं कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 29.08.2022 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध में विवाद है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना अन्तर्गत 128 एल.आर.एक्ट उनवानी

सुशीला बैरवा बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रार्थी/हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 29.08.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी ख.नं. 3706 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा की नियमानुसार वर्णित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान के मध्यनजर सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) विधिवत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर